एफ सी-5-2/2018/1

-9-

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषयपूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद् आदेश

आयटम क्रमांक 31 दिनांक 29 मई, 2018

विषय:- संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश

निर्णय लिया गया कि संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 28 मई, 2018 के साथ संलग्न नीति-निर्देश (परिशिष्ट-ब) निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किए जावे-

1. कण्डिका 1.4 में शब्द "आगामी तीन वर्षों तक" विलोपित किया जावे।

2. कण्डिका 1.14.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जावे-

   "संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जावे। किसी के विरूद्ध गम्भीर आरोपों की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने एवं समग्र रूप से जांच पूर्ण करने के बाद ही सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

3. कण्डिका 1.15 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जावे-

   "विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। जहां आवश्यक हो वहां भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

(बसंत प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य सचिव का निजी कक्ष
प. क्र. 2134/मु.स./
तारीख 2/6/18

F. No. 722/A.C.S./G.A.D.
Recd. Date 04.06.2018
Disp. Date 04.06.2018

04.06.18

छब्बीस-२ सचिवालय

पूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद् आदेश

आयटम क्रमांक 29 दिनांक 29 मई, 2018

विषय:- अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग में संविलयन करने के संबंध में

निर्णय लिया गया कि -

1. 224 सामुदायिक विकास खण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलयन किया जाकर, इनकी नियुक्ति प्रस्तावित "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम, 2018" के तहत नवगठित सेवा के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जावे। यह सेवा दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील होगी।
2. 89 विकासखण्डों में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थाओं तथा अन्य विकासखण्डों में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं में, स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का जनजातीय कार्य विभाग में संविलयन किया जाकर, इनकी नियुक्ति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सुसंगत नवगठित सेवा नियम के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जावे। यह सेवा दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील होगी।
3. उभय विभागों द्वारा विभागीय संक्षेपिका दिनांक 28.05.2018 की कण्डिका 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में वर्णित प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए नियमों को अंतिम रूप दिया जावे।

छब्बीस - २ सचिवालय

विषय :

एफ 1-59/2018/20-1

का विभाग

विषय:- **अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग में संविलयन करने के संबंध में**

पूर्व पृष्ठ से:-

4. दिनांक 01.07.2018 से सातवें वेतन आयोग के अनुशंसित वेतनमान का लाभ दिया जावे।

5. वर्तमान में सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक हेतु स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप संबंधित विभागों के विभागीय संरचना में क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित किए जावें तथा स्थानीय निकायों से उक्त पद विलोपित किये जावें।

(बसंत प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव,

प्रमुख सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग